


फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

कदमा क जुदास विपक्षी जानुदास
 53 पत्रावली संख्या 117 सन् 18

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p><u>5/5/22</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रैस्यो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>25/8/22</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>25/8/22</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रैस्यो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>21/2/22</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>8/12/22</u> पत्रावली जारी/प्रतिवादी उप. / <u>जवाब/नलका</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>संक्षिप्त</u> अवकाश दिया जाकर पत्रावली दि. <u>19/01/23</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>19/01/23</u> पत्रावली जारी/प्रतिवादी उप. / <u>जवाब/नलका</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>संक्षिप्त</u> अवकाश दिया जाकर पत्रावली दि. <u>23/02/23</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>23/2/23</u> आज दिनांक की वार एसोसिएशन मावली ने कार्य रथगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.... <u>24/4/23</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>24/4/23</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रैस्यो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>17.17.23</u> को पेश हो।</p>	

20/4/23

पत्रावली तलब की गई। 'अशासन गार्ड के लिये अभियान 2023' को प्रोत्साहित किया जाने से पत्रावली में अधिसूचना को सुनिश्चित किया जाकर पत्रावली दिनांक 25/6/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

25/6/23

पत्रावली आज कोम्प पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक 17/7/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

17/7/23

वकील/प्रतिवादी/प्रतिवादी/प्रतिवादी के लिये मौका चाहते हैं। अतः प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/10/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

23/10/23

पत्रावली पेश वकील/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेरफो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अपकार/भ्रमण/मिटिंग पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में 5/2/24 को पेश हो।

05/02/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मध्य वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता मध्य वादी को आवाजे दिलवाई गई। समय सांघ 5:00 PM हो चुके हैं। अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता मध्य वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद श्रम हाजरी श्रम फेरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली